न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

ज0वि0 निगरानी संख्या– 108/2012–13

श्री आजाद आदि

–बनाम–

उत्तराखण्ड सरकार

उपस्थितिः श्री सुनील कुमार मुद्दू, आई0ए0एस0 अध्यक्ष

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री पी0के0 गर्ग।

अधिवक्ता उत्तरदाता राज्य सरकार : श्री सुबोध कुमार शर्मा, जिला शासकीय अधिवक्ता(रा0)

बावत

भूमि खाता सं0–312 गाटा संख्या–450 मि0 रकबा 0.1430 है0
स्थित मौजा जमालपुर कलां, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार

निर्णय

यह निगरानी विद्वान उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–3/2011–12 अन्तर्गत धारा–176क(2) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम ग्राम सभा बनाम रविन्द्र आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 10–05–2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उप प्रधान ग्राम जमालपुर कलाँ के प्रार्थना पत्र दिनांक 03–02–2012 पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार ने तहसीलदार, हरिद्वार से आख्या प्राप्त की। तहसीलदार, हरिद्वार द्वारा ने अपनी आख्या दिनांक 08–02–2012 में कथन किया कि ग्राम जमालपुर कलाँ, परगना ज्वालापुर के खाता खतौनी संख्या–312 खसरा नम्बर–450म रकबई 0.143 है0 पर श्री आजाद व भूपेश पुत्रगण बिजेन्द्र निवासी जमालपुर कलाँ का नाम श्रेणी–3 आसामी पट्टेदारों के रूप में पूर्व से दर्ज चला आ रहा है, जिसकी समय अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त पट्टेदारों द्वारा प्रश्नगत पट्टे वाली भूमि में कृषि कार्य भी नहीं किया जा रहा है। इस कारण उक्त पट्टे की अवधि 05 वर्ष से अधिक होने एवं पट्टों में कृषि कार्य न किये जाने से प्रश्नगत सम्पत्ति से उक्त पट्टेदारों का नाम निरस्त किया जाय। तहसीलदार, हरिद्वार की आख्या एवं सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व को सुनने के पश्चात सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार ने निर्णयादेश दिनांक 10–05–2013 से निगरानीकर्तागण का नाम श्रेणी–3 से निरस्त किया गया। इस आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण ने यह निगरानी योजित की है।

अधिवक्ता निगरानी ने तर्क दिया कि अवर न्यायालय द्वारा निर्णयादेश दिनांक 10–05–2013 पारित करने से पूर्व निगरानीकर्तागण को कोई भी सूचना या नोटिस नहीं दिया गया और पारित आदेश एक पक्षीय आदेश है। भूमि प्रबन्धक समिति ने दिनांक 30–09–1975 को गाटा संख्या–450 मि0 रकबई 14 बिस्वा पुखता भूमि का पट्टा निगरानीकर्तागण के पिता

को विधिवत दिया था। निगरानीकर्तागण के पिता की मृत्यु होने के उपरान्त कागजात माल में निगरानीकर्तागण का नाम भी दर्ज हो चुका है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–05–2013 एकपक्षीय आदेश है जिसपर निगरानीकर्तागण को साक्ष्य एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो निरस्त होने योग्य है।

प्रतिपक्षी सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) ने तर्क दिया गया कि निगरानीकर्तागण को यदि अवर न्यायालय में सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तो उन्हें न्यायहित में सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु वाद अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवर न्यायालय की वाद पत्रावली के पेपर नम्बर–4 पर उपलब्ध नोटिस के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि नोटिस की तामीली पक्षकारों पर नहीं हुई है। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 10–05–2013 के प्रथम दृष्टया अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश एकपक्षीय आदेश है जो केवल राज्य सरकार की बहस सुनने के उपरान्त पारित किया गया है और आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्तागण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार द्वारा प्रश्नगत निर्णयादेश पारित करने से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था, जिसका पालन नहीं किया गया है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी बलयुक्त होने के कारण स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 10–05–2013 निरस्त किया जाता है एवं वाद अवर न्यायालय को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निगरानीकर्तागण को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए वाद का विधिसम्मत निस्तारण करें।

(सुनील कुमार मुदद्)
अध्यक्ष।

आज दिनांक **29–01–2014** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित ।

(सुनील कुमार मुदद्)
अध्यक्ष।